न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 90/2019

उदय पाण्डेय वगै0.....वादीगण।

बनाम्

रामाशीष राय वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

07-01-2025 उभय पक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्षके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.03.2024 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये वादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादीगण द्वारा यह मुकदमा अर्जी के जमीमा नं0 02 में दर्ज दो कित्ता केबाला दिनांक 05.09.1980 वो दिनांक 03.01.2019 को रद्द करार देने हेतू दाखिल किया है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष मुकदमा की जानकारी के वावजूद दिनांक 17.01.2022 इस वाद के प्रतिवादी सं0 01(ख) एवं प्रतिवादी सं0 03 द्वारा प्रतिवादी सं0 09(क) के पक्ष में एक जाली फरेबी केबाला तहरीर किया गया है जो दौरान मुकदमा के होने के वजह से दफा 52 टी0पी0 एक्ट के वजह से जाली फरेबी है तथा उपरोक्त के आलोक में अर्जीदावी में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि इस संशोधन से मुकदमें के स्वभाव में कोई परिर्वतन नहीं होता है तथा यह संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा अनुरोध करते हैं कि मुकदमें में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित करते हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी के तरफ से उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है तथा संशोधन औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 19.03.2024 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता हैं कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय, संशोधन पश्चात सिरिस्तेदार से कोर्ट फीस के संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।

दिनांक 25.02.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)